लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी **इन्द्रजीत सिंह,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या/96/2017 (सू.अ.)
पंजीयन दिनांकः– 12.12.2017

श्री गोपाल नागर निवासी हिन्दू छीपा मौहल्ला, चित्तौड़गढ़

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

निर्णय

दिनांक 02.01.2018

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 25.10.2017 को ड़ाक से प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 96/2017/(02.01)/1025 दिनांक 15.12.2017 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 02.01.2018 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 02.01.2018 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से सूचना देने के बावजूद भी अपीलार्थी नियत दिनांक को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुआ और न ही लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ ने उक्त प्रकरण में आदिनांक तक कमेन्ट्स प्रस्तुत किये।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील एवं उसके संलग्न अनुलग्नकों का अवलोकन कर उस पर मनन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा आवेदन दिनांक 25.10.2017 से मीरा स्मृति संस्थान, चित्तौड़गढ़ से संबंधित सूचनाएें चाही गई जबकि अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन),

प्रकरण संख्या 96/2017 (सू.अ.)
श्री गोपाल नागर निवासी चित्तौड़गढ़ बनाम लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

चित्तौड़गढ़ केवल राजस्व विभाग से संबंधित सूचनाओं के लिए लोक सूचना अधिकारी नियुक्त है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत आवेदनकर्ता द्वारा किसी लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी के यहां सूचना चाहने हेतु कोई आवेदन किया जाता है और उक्त आवेदन उस लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी से संबंधित नहीं है तो यह उस लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी का दायित्व है कि वह उक्त आवेदन को संबंधित लोक सूचना अधिकारी के यहां धारा 6 (3) के तहत स्थानान्तरित करे, किन्तु लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा इस प्रकरण में टिप्पणी प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट नहीं है कि उनके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6(3) के तहत अपीलार्थी का आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी को स्थानान्तरित किया गया है अथवा नहीं। अतः अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को निर्देश दिये जाते हैं कि संबंधित लोक सूचना अधिकारी से अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचनाऐं प्राप्त कर अपीलार्थी को निः शुल्क उपलब्ध करावे।

(इन्द्रजीत सिंह)
आई.ए.एस.
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्र./सरिश्ता/प्र.सं./96/2017(सू.अ.)/ दिनांकः– / /2017

प्रतिलिपिः–
1. लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़
2. श्री गोपाल नागर पिता श्री मदनलाल नागर निवासी हिन्दू छीपा मौहल्ला, चित्तौड़गढ़

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)